न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

ख्या 128/13

तारीख रजू– 07/08/2013

टवर्क्स लि. (पूर्ववती टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड एवं वायरलेस टी.टी.इन्फो सर्विसेज लिमिटेड) र्वन जेसवानी,प्रबन्धक विधि विभाग, पता– प्लाट नम्बर 3,द्वितीय मंजिल,पूजा टॉवर,गोपालपुरा टोक रोड,जयपुर।

———अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,गंगापुरसिटी।

——— रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 15/10/15

अपीलाण्ट ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत दार,गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 395/10 मे पारित आदेश दिनांक 12/09/12 के विरूद्व की है जिसमे अदालत मातहत द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 30/04/10 को पुष्ट किया गया है व र्थी को ग्राम कुनकटाकलॉ की आराजी खसरा नम्बर 113 रकवा 50X50=2500 वर्गफीट सिवायचक बेदखल किया गया है व 30000/–(तीस हजार) रूपये की शास्ति कायम की गई है।

पील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा ोन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय य न्यायालय खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अपीलाण्ट ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा ग्राम कुनकटाकलां की आराजी नम्बर 113 रकवा 1.47 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण बाबत धारा 91 का नोटिस जारी किया गया था ह मे 2500 वर्गफीट से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था यह आदेश नियमो एवं तथ्यो था विपरीत है। विद्वान वकील अपीलाण्ट ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत के समक्ष य स्पष्ट रूप से रख दिया गया था कि लगाया गया टॉवर अतिक्रमण करके नही लगाया गया है पुखराज गुर्जर से भूमि लीव एवं लाईसेन्स पर लेकर प्रतिमाह लाईसेन्स फीस अदा करके लगाया गया इसका एग्रीमेण्ट भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था कि वादग्रस्त आराजी पर ग टॉवर प्रदाता अपीलाण्ट का नही है बल्कि अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि पर लाईसेन्सी है। यदि ल भूमि लाईसेन्स फीस प्राप्तकर्ता की नही है तो उस स्थिति मे अतिक्रमी लाईसेन्स फीस प्राप्तकर्ता टॉवर प्रदाता अपीलाण्ट नही होगा इस वजह से भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील ण्ट ने बहस मे तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व का क्षेत्र नही है बल्कि ग्राम कुनकटाकलां की ीय बस्ती का क्षेत्र है वादग्रस्त भूमि की प्रकृति कृषि की नही रही है जिसपर कार्यवाही करने का र अदालत मातहत को नही होकर ग्राम पंचायत को है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय द्वान वकील अपीलाण्ट ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलाण्ट के द्वारा अदालत मातहत को यह दिया गया था कि अपीलाण्ट ने वादग्रस्त भूमि पुखराज गुर्जर से लीव व लाईसेन्स पर ली है यदि ल भूमि पर अतिक्रमण है तो पुखराज गुर्जर प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है व अदालत मातहत को ज गुर्जर को पक्षकार बनाया जाकर उसके विरूद्व कार्यवाही करनी चाहिये थी न कि अपीलाण्ट के स कारण भी अदालत मातहत का निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलाण्ट ने बहस मे यह भी दिया कि प्रस्तुत मोका रिपोर्ट एवं पैमाईश रिपोर्ट की प्रकृति आपस मे मेल नही खाती है व अपीलाण्ट निधि को बुलाये वगैर पैमाईश की गई है। रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 113 मे टॉवर लगाया जाना बताया र्ट अस्पष्ट एवं बिना किसी आधार के है पैमाईश का क्या आधार रहा है यह नही बताया गया है।

जिला कलेक्टर
वाई माधोपुर

कार्यवाही एकपक्षीय की गई है जिसके कारण भी मोका रिपोर्ट एवं पैमाईश पर विश्वास नही किया कता है व इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई अदालत मातहत का निर्णय खारिज किया जावें।

विद्वान वकील अपीलाण्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे या कि अदालत मातहत द्वारा वाद जॉच भूमि राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक होने व पैमाईश मे ण्ट का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी की अनियमितता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित ो का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व ाराजी का बेदखली व शास्ति का आदेश 30/04/10 को पारित किया गया था जिसकी प्रथम अपीलाण्ट ने अदालत हाजा मे की थी जिसमे अदालत हाजा द्वारा 10/06/11 को निर्णय पारित पीलाण्ट की अपील खारिज की गई थी। अपीलाण्ट ने अदालत हाजा के निर्णय की द्वितीय अपील य राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत कि जिसमे माननीय राजस्व अपील री,सवाईमाधोपुर ने 27/02/2012 को अदालत मातहत व अदालत हाजा का निर्णय निरस्त कर अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मोके पर विधिवत पैमाइश करावे ओर उपरान्त मोके की कब्जे की वास्तविक रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण मे पुनः दो माह की अवधि मे नुकूल निर्णय पारित करें। माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की पालना मे अदालत मातहत आदेश क्रमांक 1005 दिनांक 13/08/12 से नायब तहसीलदार,गंगापुर के निर्देशन मे मोके की व कब्जे बाबत टीम गठित की गई है जिसमे गठित टीम ने नायब तहसीलदार गंगापुरसिटी की ति मे दिनांक 25/08/12 को ग्राम कुनकटाकलां के खसरा नम्बर 113 व 557 का मोका बाबत म्पनी द्वारा लगाये गये टॉवर के संबंध मे देखा है। रिपोर्ट मे बताया गया है कि टाटा कम्पनी का खसरा नम्बर 113 सिवायचक (बंजड) भूमि मे लगा रखा है तथा खसरा नम्बर 557 खसरा नम्बर 113 मग 800 मीटर दूर है। खसरा नम्बर 557 कृषि कार्य मे आ रहा है। खसरा नम्बर 557 रकवा 0.07 कानजी,रामफूल,शिवलाल,पाच्या,पुखराज,सरजू पि. भोला जाति गुर्जर निवासी कुनकटाकलां की री मे दर्ज है। उक्त रिपोर्ट से यह भलीभाति सांबित हो रहा है अदालत मातहत ने जो अपीलाधीन पारित किया है वह माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना कर वाद मोके की जॉच व के उपरान्त पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नजर नही आती

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का दिनांक 12/09/12 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/10/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर